भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 230
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है)

अनियंत्रित मुद्रास्फीति

230. डॉ. नामदेव किरसान:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण आम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और खाद्य वस्तुओं, किराने और घरेलू वस्तुओं की कीमतों में 25-50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आम लोगों के भोजन की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य वस्तुओं, ईंधन आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कम आय, बेरोजगारी, पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च लागत और जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की कम उत्पादकता देश में उच्च मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को देश पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के व्यापक प्रभाव की जानकारी है, जिससे लोगों के बीच तनाव है और व्यापार को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और कुछ व्यापार बढ़ी हुई लागत के कारण बंद भी हो रहे हैं; और

(छ) क्या वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कारण देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): हेडलाइन खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति, जो घरेलू खपत की खाद्य, ईंधन और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर आधारित है, 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, जबकि यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत थी, जिससे आवश्यक वस्तुएं आम आदमी के लिए अधिक किफायती हो गईं।

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से उपाय कर रही है। इन उपायों में प्रमुख खाद्य वस्तुओं के बफर का निर्माण**,** समय-समय पर इन वस्तुओं को खुले बाजार में जारी करना**,** घरेलू खाद्य उपलब्धता को बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियों को अपनाना**,** स्टॉक की सीमा निर्धारित और संशोधित करके जमाखोरी को रोकना**,** विनिर्दिष्ट खुदरा दुकानों के माध्यम से सब्सिडाइज्ड कीमतों पर चुनिंदा खाद्य वस्तुओं का वितरण और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों में आवधिक कमी शामिल है।

(घ) और (ङ): स्थिर कीमतों पर देश की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 2023-24 और 2024-25 के दौरान 6.3 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ने का अनुमान है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2021-22 में 4.1 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों (एलपीजी, डीजल और पेट्रोल) में खुदरा मुद्रास्फीति ऋणात्मक थी। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति मौसम -प्रभावित उत्पादन संबंधी नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित होती है।

(च) खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 से 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में कम हो गई। थोक मूल्य मुद्रास्फीति जो विशेष तौर पर उत्पादन की लागत की निगरानी करती है, वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई। अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों की संख्या 2022-23 में 6.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 7.34 करोड़ हो गई। इसी तरह, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में कारखानों की संख्या भी 2021-22 से 2022-23 में बढ़ गई।

(छ) उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों को समय-समय पर उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर दिया गया है।

****